मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक– F–19–7/05/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक 22.07.2006

प्रति,

समस्त प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषयः–गाँव की बेटी योजना का सत्र 2006–07 से क्रियान्वयन।

संदर्भः–(1) उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ–19–7/05/2–38 भोपाल, दिनांक 7.10.2005
(2) इस कार्यालय का पत्र क्र 1888/1008/आउशि/शाखा–8/05 भोपाल, दिनांक 12.2005

***

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञाप एफ–19–7/05/2–38 भोपाल, दिनांक 7.10.2005 द्वारा गाँव की बेटी योजना के संबंध में बनाये गये नियम गतवर्ष प्रत्येक महाविद्यालय को भेजे गए हैं। इन्ही नियमों के अनुसार शिक्षा सत्र 2006–07 में भी इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

सत्र 2006–07 में स्नातक द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत उन सभी छात्राओं को "गाँव की बेटी" योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिन्हें प्रथम वर्ष में पात्र पाया गया था एवं उन्होनें स्नातक द्वितीय वर्ष में संस्था में नियमित अध्ययन जारी रखा है। जिन छात्राओं ने स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं लिया है अथवा जो स्नातक प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हो गई हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नही होगा। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम वर्ष की छात्राओं को जो द्वितीय वर्ष मे नियमित प्रवेश लेती हैं उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता होगी।

गत वर्ष योजना के संचालन में कुछ कठिनाईयां सामने आई थी उन्हें ध्यान में रखते हुए सत्र 2006–07 में योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्व जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के तारतम्य में निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाते हैं–

(1) प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य अपने महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष की उन सभी छात्राओं से गांव की बेटी योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करेंगे जिन्होंने

1. सत्र 2006–07 में महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लिया है।
2. **मध्यप्रदेश के गाँव की पाठशाला या नगर पंचायत की पाठशाला से** बारहवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में **(मैरिट के अनुसार सर्वोच्च अंक प्राप्त कर) उत्तीर्ण की हो।**
3. **छात्रा गांव/नगर पंचायत की निवासी हो।**

नोटः– स्पष्ट किया जाता है कि यदि एक गांव की पाठशाला में एक से अधिक गांव में निवास करने वाली छात्राएं अध्ययनरत है तो मेरिट

रिहायसी गांव के आधार पर बनाई जाएगी न कि पाठशाला के आधार पर ।

(2) ऐसी समस्त छात्राएं जो उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार पात्र हैं **उनसे संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरवाया जाएगा, और आवेदन पत्र के साथ अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियां भी संलग्न की जाएंगी।**

(3) छात्राओं को प्रवेश के समय ही यह जानकारी दी जाए कि गाँव की बेटी योजना के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी–

1 12 वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि
2 गांव के निवासी होने का सरपंच का प्रमाण पत्र
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से अग्रेषित आवेदन पत्र

नोटः– गांव के निवासी होने का सरपंच का प्रमाण पत्र एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से अग्रेषित फार्म जमा करने की जिम्मेदारी छात्रा की होगी, यह जानकारी प्रवेश के समय ही छात्राओं को दी जाए।

(4) **प्रत्येक महाविद्यालय में गांव की बेटी योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2006 होगी।**

(5) अंतिम तिथि के पश्चात् समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य अपने जिले के अग्रणी महाविद्यालय में आवेदन एवं अभिलेखों के साथ उपस्थित होंगे जहॉ निर्धारित साफ्टवेयर में समस्त आवेदन दर्ज किये जायेगे।

(6) 15 नवम्बर, 2006 तक समस्त अग्रणी महाविद्यालयों द्वारा साफ्टवेयर में आवेदन दर्ज करने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अग्रणी महाविद्यालयों को साफ्टवेयर की सीडी इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। आवश्यकता होने पर सॉफ्टवेयर में जानकारी भरने का एक दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके लिए पृथक से तिथि सूचित की जावेगी।

(7) साफ्टवेयर में छात्रा के बारे में निम्न जानकारी भरना आवश्यक होगी ।

Student detail	• Name of the girl	12वी कक्षा की अंक सूची के अनुसार टाइप किया जाए
	• Roll No	12वी कक्षा की अंक सूची के अनुसार टाइप किया जाए
School detail	• Name of School where candidate studied	12वी कक्षा की अंक सूची के अनुसार टाइप किया जाए
	• Name of village or Nagar Panchayat of school	12वी कक्षा की अंक सूची के अनुसार टाइप किया जाए
	• Block	12वी कक्षा की अंक सूची के अनुसार टाइप किया जाए
	• District	12वी कक्षा की अंक सूची के अनुसार टाइप किया जाए
Permanent Residential address	• Name of village or Nagar Panchayat	सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर।
	• Block	सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर।
	• District	सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर।
Marks Detail	• Marks obtained	अंक सूची के अनुसार भरा जाए।
	• Total Marks	अंक सूची के अनुसार भरा जाए।

Institution Detail	•	Code of the Institution	केवल शासकीय महाविद्यालयों के लिए लागू होगा।
	•	Name of the Institution	संस्था का नाम जिसमें छात्रा अध्ययनरत है।
	•	Location of the Institution	संस्था का स्थान जिसमें छात्रा अध्ययनरत है।
	•	District of the Institution	संस्था का जिला जिसमें छात्रा अध्ययनरत है।
Farms Detail	•	Date of Admission	संस्था में प्रवेश लेने का दिनांक
	•	Date of Gaon Ki Beti Farm Submit	संस्था में गांव की बेटी का आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक

(8) संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि समस्त पात्र छात्राओं के नाम (कंडिका 1 अनुसार) शामिल हो जायें। **यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में एक गांव से प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण सर्वोच्च अंकधारी (उस गांव की मैरिट में प्रथम) छात्रा के नाम ही दर्ज किए जाएं। गॉव की समस्त प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं के नाम दर्ज नही करना है। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को, अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके महाविद्यालय की समस्त पात्र छात्राओं के नाम सूची में शामिल हैं।**

(9) अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि उनके जिले के समस्त **शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की जानकारी साफ्टवेयर में दिनांक 15 नवम्बर, 2006 तक अनिवार्य रूप से दर्ज हो जाए। तत्पश्चात् सीडी एवं जिले की पात्र छात्राओं की प्रमाणित सूची के साथ अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य इस कार्यालय में उपस्थित होंगे, तत्पश्चात् सूची को एकजाई कर कम्प्यूटर से प्रोसेस कर अंतिम रूप दिया जाएगा।**

(10) स्पष्ट किया जाता है कि अग्रणी महाविद्यालय द्वारा जो सूची तैयार की जाएगी वह गांव की बेटी योजना के अन्तर्गत योग्य छात्राओं की सूची मानी जाएगी। मापदण्डों के आधार पर किस छात्रा को लाभ दिया जाना है इसकी सूची साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की जाएगी। साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की गई सूची की अंतिम रूप से पात्र छात्राओं की सूची माना जाएगा। ***इस अंतिम सूची में एक गाँव की एक छात्रा को स्थान दिया जाएगा। यदि एक गाँव की एक से अधिक पात्र छात्राएं हैं तो मैरिट के आधार पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को स्थान दिया जाएगा।***

(11) अंतिम सूची महाविद्यालयवार उपलब्ध कराई जाएगी एवं तद्नुसार राशि का आवंटन दिया जाएगा, जिसके अनुसार छात्रा को लाभान्वित किया जाएगा।

(12) छात्रवृत्ति वितरित करने के पूर्व संस्था द्वारा पात्र छात्रा के बारे में पुनः निम्न तथ्यों का अभिलेखों के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा–

1. छात्रा की गाँव की पाठशाला से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है।
2. छात्रा गाँव की निवासी है (सरपंच के प्रमाण–पत्र के आधार पर)

3. छात्रा ने महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिया है।

4. छात्रा अध्ययनरत है।

नोटः– यदि गलत जानकारी देते हुए शहर के महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र में स्थाई निवास के पते में शहर का पता दिया जाता है एवं गांव की बेटी योजना के आवेदन पत्र में परिवर्तन करते हुए गांव दर्शाया जाता है तो ऐसी स्थिति में लाभ की पात्रता नही होगी।

(13) पात्र छात्रा को निम्न लाभ एवं सुविधाओं की पात्रता होगी–

(i) छात्रा को संस्था द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जाएगी एवं छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(ii) छात्रा को प्रतिमाह रूपए 500/– की दर से शैक्षणिक सत्र 2006–07 के लिए रूपए 5,000/– (पाँच हजार) सालाना की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए संबंधित संस्था को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट संलग्नः–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॅा भागीरथ प्रसाद)
प्रमुख सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र.– F–19–7/05/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक 22.07.06

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, के निज सहायक।
2- कुलपति समस्त विश्वविद्यालय (भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा) कुलपति महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (सतना), कुलपति, नेशनल लॉ इन्सटीट्यूट, भोपाल, कुलपति, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, कुलपति, भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, कुलपति, महारानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्ट्ीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप यदि कोई पात्र छात्रा विश्वविद्यालय या उसके अधीन संचालित संस्था में अध्ययनरत है तो उसकी एकजाई रूप से जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न सॉफ्टवेयर में दर्ज कर भेजी जाए। जानकारी केवल संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव के माध्यम से एवं सॉफ्टवेयर में ही स्वीकार्य होगी।

4. प्रमुख सचिव/संचालक चिकित्सा शिक्षा, को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप यदि कोई पात्र छात्रा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय/संस्था में अध्ययनरत है तो उसकी एकजाई रूप से जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न सॉफ्टवेयर में दर्ज कर भेजी जाए। जानकारी केवल संचालक चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से एवं सॉफ्टवेयर में ही स्वीकार्य होगी।
5. प्रमुख सचिव/संचालक तकनीकी शिक्षा, को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप यदि कोई पात्र छात्रा तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय/संस्था में अध्ययनरत है तो उसकी एकजाई रूप से जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न सॉफ्टवेयर में दर्ज कर भेजी जाए। जानकारी केवल संचालक तकनीकी शिक्षा के माध्यम से एवं सॉफ्टवेयर में ही स्वीकार्य होगी।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

(वीणा तैलंग)
अवर सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा
विभाग